

# उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1727/रा०,

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,

—सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  
रॉची।

बोकारो, दिनांक 11/07/2020

विषयः— श्रीमति रेशमी देवी, ऑनलाईन कम्पलेन संख्या—75 का निष्पादन के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची से ऑनलाईन कम्पलेन संख्या—75 (श्रीमति मंजू देवी) का अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या—03/2020 का विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 09.07.2020 को निष्पादित कर दिया गया है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन



अपर समाहर्ता,

—सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।

# न्यायालय अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या—03/2020

(मंजू देवी बनाम् जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य)

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

आदेश की क्रम सं और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई <sup>1</sup> कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
२१ मार्च  अभिलेख उपस्थापित।	<p>आवेदिका मंजू देवी अनुपस्थित। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पेटरवार उपस्थित।</p> <p>आवेदिका मंजू देवी एवं अन्य, सभी ग्राम—चरगी, टोला—परगनैत, पंचायत चरगी, प्रखंड—पेटरवार, जिला—बोकारो के द्वारा सहेली महिला मंडल के द्वारा कम राशन दिये जाने के संबंध में सामुहिक शिकायत आवेदन दिया गया है। इनलोगों के द्वारा वाट्सएप के माध्यम से खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग को ऑनलाइन द्वारा दिया गया है।</p> <p>उक्त शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पेटरवार द्वारा प्रतिवेदित शिकायतकर्ता कार्डधारी एवं ग्रामीणों से पूछ—ताछ के क्रम में पाया गया कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार सहेली महिला मंडल के व्यवहार कुशल नहीं है। साथ ही वितरण में कार्डधारी के यूनिटानुसार अनाज की सही मात्रा का उठाव दर्ज है।</p> <p>इस संबंध में शिकायतकर्ता से पूछताछ में शिकायतकर्ता का भी कहना है कि उन्हें यूनिट के अनुसार अनाज की प्राप्ति हुई है, परन्तु जनवितरण प्रणाली दुकानदार का व्यवहार कुशल नहीं रहने से शिकायतकर्ता जनवितरण प्रणाली दुकानदार का बदलवाना चाहते हैं। वर्तमान में कार्डधारियों का नाम उक्त डीलर के कोटे से नहीं काटा गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सहेली महिला मंडल को अपने व्यवहार में सुधार करने हेतु अंतिम चेतावनी देते हुए शिकायत की पुनरावृत्ति नहीं होने का निदेश दिया गया है।</p> <p>प्रखंड विकास पदाधिकारी, पेटरवार द्वारा प्रतिवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निदेश है कि यदि तथ्यों के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि यदि सहेली महिला मंडल के व्यवहार में सुधार नहीं किया जाता है एवं शिकायत की पुनरावृत्ति होने तथा शिकायत सही पाये जाने पर सहेली महिला मंडल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>इसी आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	

अपर समाहर्ता, बोकारो  
सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।

अपर समाहर्ता, बोकारो।  
सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
बोकारो।